बालक छोड़कर मर जाने वाली किसी बीमाकृत
महिला की मृत्यु के पश्चात् प्रसूति-प्रसुविधा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(विनियम 89 क)

....(बीमाकृत महिला) जो....................................की पत्नी/पुत्री थी और जिसका बीमा संख्या.....................................था और जो अंत में....................................द्वारा नियोजित थी, की..को मृत्यु हो जाने से उद्‌भूत दावा।

मैं...जो उक्त नाम के बीमाकृत व्यक्ति का...*मृतक के साथ नातेदारी यदि कोई हो, उसका नाम निर्देशिती/ (तभी लागू जब बीमाकृत महिला अपना कोई नाम-निर्देशिती न छोड़े) उसका विधिक प्रतिनिधि होने के कारण.................................से................................तक की कालावधि के लिए प्रसूति- प्रसुविधा का दावा करता हूँ/करती हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ कि :

**i) मृत बीमाकृत महिला की......................................तारीख को मृत्यु हो गई है और अपने पीछे बालक छोड़ गई है जो अभी तक जीवित है ; या

**ii) मृत बीमाकृत महिला की................................तारीख को बालक छोड़कर मृत्यु हो गई और बालक की भी...............................तारीख को मृत्यु हो गई है।

देय राशि का संदाय मुझे मनीआर्डर से/शाखा कार्यालय में नकद किया जाए।
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तारीख

दावेदार का साफ अक्षरों में नाम......................................

तथा पता.......................................

अनुप्रमाणन

*** प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर की गई घोषणाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

अनुप्रमाणन प्राधिकारी की रबड़ की मोहर या मुद्रा व साफ अक्षरों में नाम

तारीख सहित हस्ताक्षर...........................
पदनाम..

*जो लागू न हो उसे काट दें।
**इस मामले में जो लागू होने योग्य नहीं है (1) या (2) को हटा दें।
***यह प्रमाणपत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी ; या (2) नगर पालिका आयुक्त ; या (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत की शासकीय मुद्रा सहित, या विधायक/सांसद या (5) केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/स्थानीय समिति/क्षेत्रीय बोर्ड के सदस्य या ; (6) संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण :- 1. यह दावा बीमाकृत महिला की मृत्यु से 30 दिन के अन्दर प्रपत्र 24ख मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ समुचित रूप से भरकर संबंधित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2. कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेवार ठहराएगा तथा 2000/- रुपए तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।